"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 23, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–25/2018/18.– छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की सेवा की सामान्य शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2018 कहलाएंगे।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) समय–समय पर यथा संशोधित;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम तथा/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन गठित नगरपालिका या नगर पंचायत या इस प्रकार के सभी;

(ङ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) **"शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग"** से अभिप्रेत है नगरीय निकाय के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए नियुक्त व्यक्ति;

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा/या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में उनके लिये समनुदेशित है।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे।

6. **संविलियन.**— (1) जैसे ही शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी, आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं, वैसे ही उनका संविलियन, स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक (एल.बी.), शिक्षक (एल.बी.) तथा व्याख्याता (एल.बी.) के पद पर किया जायेगा।

(2) यह संविलियन, शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. **अनुकंपा नियुक्ति.**— शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग की उनके सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उनके पात्र आश्रित को सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के रुप में पात्रता मानदण्ड पूर्ण करने पर, अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी:

परंतु यह कि ऐसी नियुक्ति की मांग करने वाले आश्रित द्वारा, सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु, हायर सेकेण्डरी, डी.एड./बी.एल.एड. एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

8. **परिवीक्षा.**– (1) ऐसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इन नियमों के क्रियान्वयन के पूर्व शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के पद पर हुई है और जिनकी परिवीक्षा की कालावधि समाप्त नहीं हुई है, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे पांच वर्ष की कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक वर्ष के अंत में शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारियों के कार्य का आंकलन करेगा।

(2) दो वर्ष की परिवीक्षा की कालावधि के पश्चात्, नगरीय निकाय, शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी के आचरण एवं उनके कार्यों के आधार पर, परिवीक्षा की कालावधि समाप्त कर सकेगी। शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में, परिवीक्षा की कालावधि एक से तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात्, ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उनके कार्य का आंकलन किया जायेगा और यदि फिर भी उनके कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।

9. **अनुशासन एवं नियंत्रण.**– शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग, नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन होंगे। यथास्थिति, दीर्घ शास्ति के लिए, मेयर–इन–कौंसिल या प्रेंसीडेंट–इन–कौंसिल तथा लघु शास्ति के लिए, आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

10. **सेवा की समाप्ति.**– (1) शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी की सेवाएं–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर; या

(दो) कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर; या

(तीन) कर्मचारी द्वारा एक मास का वेतन जमा करके;

किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी।

(2) यदि कर्मचारी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, चयन या संविलियन के पश्चात् सेवा के किसी भी प्रक्रम में, असत्य पाई जाती है, तो उनकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी तथा संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

11. **सेवा की सामान्य शर्तें.**— इन नियमों में उल्लिखित से भिन्न सेवा की शर्तें वहीं होंगी जो कि नगरीय निकाय के अन्य कर्मचारियों को लागू है।

12. **अपील.**— इन नियमों के अधीन जारी किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

13. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

14. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

15. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

अनुसूची

(नियम 2 (ङ) देखिये)

स. क्र.	शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग	वेतनमान		नियुक्ति प्राधिकारी
		7 वर्ष तक की सेवा अवधि वालों का वेतनमान	7 से 8 वर्ष के बीच सेवा अवधि वालों का वेतनमान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	व्याख्याता (नगरीय निकाय)	5300–150–8300	7000–200–30000+4500 अध्यापन भत्ता	यथास्थिति, मेयर–इन–कौंसिल / प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल सहित आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
2.	शिक्षक (नगरीय निकाय)	4500–125–7000	6000–175–25000+3500 अध्यापन भत्ता	
3.	सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय)	3800–100–5800	5000–150–20000+2500 अध्यापन भत्ता	

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 4–25 / 2018 / 18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–25 / 2018 / 18, दिनांक 14–12–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 14th December 2018

NOTIFICATION

No. F 4-25/2018/18.- In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and Section 95 read with Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules with respect to the general conditions of service of Shikshak (Municipal) Cadre, namely:-

RULES

1.Short title and commencement.—(1) These rules shall be called Chhattisgarh Shikshak (Municipal) Cadre (General Conditions of Service) Rules, 2018.

(2)These rules shall come into force from the date of 1st July, 2018.

2.Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and/or

Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) as amended from time to time;

(b) "**Appointing Authority**" means the authority specified in column (5) in Schedule;

(c) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "**Municipal Body**" means a municipal corporation constituted in terms of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and/or a Municipality or a Nagar Panchayat constituted in terms of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, or all of them;

(e) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(f) "**Shikshak (Municipal) Cadre**" means person appointed for teaching in school under the control of a Municipal Body.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to

them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and/or Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961).

3. **Scope and application**.— Without prejudice to the generality of provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service**. —The following persons shall be included in the service, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules.

5. **Classification and scale of pay.-** The classification of the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule.

6. **Absorption.**— (1) As and when an employee in the Shikshak (Municipal) cadre completes eight years of the service, he/she will be absorbed on the post of Assistant Teacher (L.B.), Teacher (L.B.) and Lecturer (L.B.) in the School Education Department.

(2) This absorption shall be made by the School Education Department of the Government.

7. **Compassionate appointment.**— On the death of the teacher (Municipal) cadre during his/her service, eligible dependent will be given compassionate appointment, as Assistant Teacher (Municipal) on fulfilling the eligibility criteria:

Provided that, for compassionate appointment to the post of Assistant Teacher (Municipal); Higher Secondary, D.Ed./B.El.Ed. and Teacher Eligibility Test (TET) must have been passed by the dependent seeking such appointment.

8. **Probation.-** (1) The employee who were appointed to the post of teacher (Municipal) cadre before the

implementation of these rules, and whose probation period has not expired, will remain in probation for a period of two years, which may be extended to a period five years. The Appointing Authority will assess the work of the employees of the Teacher (Municipal) cadre at the end of each year.

(2) After the probation period of two years, on the basis of conduct and work of the employee of the Teacher (Municipal) cadre, the Municipal Body may terminate the probation period. In case the work of the employee of the Teacher (Municipal) cadre is not found to be satisfactory, the probation period may be extended from one to three years. Thereafter, their work shall be assessed at the end of such extended period and if their works are not found to be satisfactory, then their services shall be terminated.

9. Discipline and Control.- The Teacher (Municipal) cadre shall be under the administrative control of Municipal Body. For major punishment, the Mayor-in-Council or

President-in-Council and for minor punishment, the Commissioner or the Chief Municipal Officer, as the case may be, shall be the disciplinary authority.

10. Termination of service.- (1) Services of the employee of the Teacher (Municipal) cadre may be terminated at any time-

(i) by giving one month notice in writing by the Appointing Authority to the employee; or

(ii) by giving one month notice in writing by employee to the Appointing Authority; or

(iii) by depositing one month salary by the employee.

(2) If any of the information given by the employee found incorrect in any stage of the service after the selection or absorption, their service may be terminated by the Appointing Authority and there shall be made legal action against the employee concerned.

11. General conditions of service.- Conditions of service other than mentioned in these rules shall be the same, as applicable to other employee of Municipal Body.

12. Appeal.— An appeal against an order issued under these rules shall be in accordance with the provisions contained in the Act.

13. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

14. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that any case shall not be dealt with in any manner less favorable to him, than those provided in these rules.

15. Repeal and Saving.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

SCHEDULE

[*See* rule 2(e)]

S.No	Shikshak (Municipal) Cadre	Pay Scale		Appointing Authority
		Pay scale of service period up to 7 years	Pay scale of service period between 7 to 8 years	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lecturer (Municipal)	5300-150-8300	7000-200-30000+4500 Teaching Allowance	Mayor-in-Council / President-in-Council with Commissioner or Chief Municipal Officer, as the case may be.
2.	Shikshak (Municipal)	4500-125-7000	6000-175-25000+3500 Teaching Allowance	
3.	Assistant Teacher (Municipal)	3800-100-5800	5000-150-20000+2500 Teaching Allowance	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.